संख्या-318/2018/2879/22-2-2017-17(05)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभान पुत्र श्री फुल्ली, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38242/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02.05.2017) दिनांक 24.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभान पुत्र श्री फुल्ली, जो-सींगपुर, थाना-सिढ़पुरा, जनपद-एटा वर्तमान पता-पपरी, थाना-कायमगंज, जिला-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने पार्टी बन्दी में दिनांक 14.08.1978 को प्रात: लगभग 06:30 बजे 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचा, रिवाल्वर, लाठी, बन्दूक से हमला कर गाय का मल्ल घूरे पर फेंकने जा रहे रामनरायन की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-736/78 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,तृतीय,एटा के आदेश दिनांक 06.02.1981 द्वारा आजीवन कारवास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.09.2004 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा बन्दी ने दिनांक 09.02.2017 तक 15 वर्ष 03 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 10 माह 20 दिन सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने पार्टी बन्दी में दिनांक 14.08.1978 को 04 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर देशी तमंचा, रिवाल्वर, लाठी, बन्दूक से हमला कर घूर फेकने जा रहे रामनरायन की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोवेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सिद्धदोष बन्दी चन्दभान पुत्र श्री फुल्ली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि चन्द्रभान (बन्दी संख्या-18402) पुत्र श्री फुल्ली, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-318/2018/2879(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-318/2018/2879/22-2-2017-17(05)/2014

दिनांक 16 अप्रैल, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभान पुत्र श्री फुल्ली, जो-सींगपुर, थाना-सिढ़पुरा, जनपद-एटा वर्तमान पता-पपरी, थाना- कायमगंज, जिला-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने पार्टी बन्दी में दिनांक 14.08.1978 को प्रात: लगभग 06:30 बजे 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचा, रिवाल्वर, लाठी, बन्दूक से हमला कर गाय का मल्ल घूरे पर फेंकने जा रहे रामनरायन की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-736/78 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,तृतीय,एटा के आदेश दिनांक 06.02.1981 द्वारा आजीवन कारवास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.09.2004 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा बन्दी ने दिनांक 09.02.2017 तक 15 वर्ष 03 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 10 माह 20 दिन सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने पार्टी बन्दी में दिनांक 14.08.1978 को 04 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर देशी तमंचा, रिवाल्वर, लाठी, बन्दूक से हमला कर घूर फेकने जा रहे रामनरायन की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने**,** अशक्त न होने**,** जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने**,** इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक**,** जिला प्रोवेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चन्दभान पुत्र श्री फुल्ली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in